

न्यायालय अति. जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार आर.ए.एस

तारीख रजू 19.02.2019

मुकदमा नम्बर 94/019

1 सरकार जरिये तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली

:—प्रार्थी

बनाम

- 1 रुकमणी पत्नि रामचन्दरी
- 2 दुल्लीचंद पुत्र रामचन्दरी
- 3 अमली पुत्र रामचन्दरी
- 4 देवीसहाय पुत्र रामचन्दरी
- 5 चुन्नीलाल पुत्र रामचन्दरी
- 6 मोहनलाल पुत्र रामचन्दरी
- 7 मोन्टी पुत्र रामचन्दरी
- 8 थमलादेवी पुत्र रामस्वरूप
- 9 केशन्ती पत्नि खेमचंद
- 10 नीरज पुत्र रामस्वरूप
- 11 हरकेश पुत्र रामस्वरूप
- 12 सपना पुत्री रामस्वरूप
- 13 गोलू पुत्र खेमचंद
- 14 अनिल पुत्र खेमचंद
- 15 राहुल पुत्र खेमचंद
- 16 लक्ष्मीवाई पुत्री खेमचंद

समस्त जातियान वैरवा निवासीयान मेहदीपुर
तहसील टोडाभीम जिला करौली


— अप्रार्थीयान

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 भू राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 12.06.2019

भूमिधारी तहसीलदार टोडाभीम ने अप्रार्थी के विरुद्ध यह प्रार्थना पत्र रेफरेन्स का प्रस्तुत कर अवगत कराया है। कि आराजी खसरा नम्बर 441 रकवा 1.12 है0 ग्राम मेहदीपुर तहसील टोडाभीम में स्थित है जिसका प्रार्थी लेण्ड होल्डर है। यह कि गत आराजी खसरा नम्बर 102 रकवा 5 बीघा 5 बिस्वा सन् 1947 एवं इसके पश्चात गैरमुमकिन नाला के रूप में दर्ज था परन्तु जमाबंदी सम्बत 2030 से 32 यह भूमि रामचरण पुत्र मूल्या व अप्रार्थी रुकमणी पत्नि रामचदरी बगै0 जातियान वैरवा निवासीयान मेहदीपुर तहसील टोडाभीम के नाम जरिये आवंटन से गैरखातेदारी में दर्ज होकर खातेदारी में दर्ज हो गई है। तत्पश्चात भू प्रबन्ध विभाग द्वारा गत खसरा नम्बर 102 का नवीन खसरा नम्बर 441 बनाकर हाल जमाबंदी में अप्रार्थीयान के नाम दर्ज रिकार्ड है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील तालाब नदी नाले जलाशय आदि की भूमि पर निजी खातेदार अधिकार उदभूत नहीं होते हैं। इस प्रकार से यह अंकित हस्तानान्तकरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 2.8.2004 के द्वारा नदी,नाले,जलाशय आदि की भूमि जो दिनांक 15.8.1947 में राजस्व



रिकार्ड में दर्ज है। को वापिस सरकारी भूमि दर्ज करने एवं इसके बाद हुये परिवर्तन को अवैध घोषित किये जाने निर्देश है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है। कि खसरा नम्बर 441 रकवा 1.12 है0 वाके ग्राम मेहदीपुर को वापस राजकीय भूमि गैरमुमकिन नाला को दर्ज किये जाने के आदेश दिये जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना दर्ज पंजीका कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थीयान का तामिल विधिवत होने पर नियत दिवस को ना तो स्वयं उपस्थित हुआ और ना ही इस प्लीडर उपस्थित आया। कोई जबाव पेश नहीं किया गया है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने के लिये प्रार्थना पत्र के साथ रिपोर्ट पटवारी, नकल जमाबंदी सम्बत 2000 से 2019, 2030 से 32, 2070 से 73, मिलान क्षेत्रफल, हाल जमाबंदी खसरा गिरदावरी नक्शा ट्रेस पेश पेश की है।

हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तथा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाया कि जमाबंदी सम्बत 2000 से 2019 की खाता सख्या 01 में आराजी खसरा नम्बर 102 रकवा 5वीधा विस्वा भूमि गैरमुमकिन नाला के नाम से दर्ज रिकार्ड था जो कि इस आराजी में से मुताबिक जमाबंदी सम्बत 2030 से 32 में परिवर्तन होकर नामान्तकरण सं0 98 से रामचरण पुत्र मूल्या जाति चमार ओर बाद में रूकमणी पत्नि रामहचन्द्री के नाम आराजी खसरा नम्बर 441 रकवा 1.12 है0 खातेदारी स्वीकृत हुयी थी इसके बाद नवीन खसरा नम्बर 441 रकवा 1.12 किस्म बारानी ए हाल जमाबंदी सम्बत 2070 से 73 में अप्रार्थीयान के नाम खातेदारी में दर्ज रिकार्ड होकर मौके पर काबिज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील, तालब, नदी, नाले, जलाशय आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उदभूत नहीं होते हैं। जो भी इन्द्राज हुये वो अवैध है। एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य है। जो निरस्त योग्य है। डी0बी0सिविल जनहित याचिका सख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 2.8.2004 के अपने विस्तृत निर्णय में उल्लेख किया है कि All land shown as drainage channels like nalla, rivers, tributaries etc. as on 15-8-1947 should be declared as Government land. Any conversions made after 15-8-1947 should be declared illegal. The relevant act and rules must be ammended accordingly. माननीय उच्च न्यायालय के खण्ड पीठ द्वारा जनहित याचिका में पारित निर्णय से हम सहमत हैं।

अतः भूमिधारी तहसीलदार टोडाभीम का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 441 रकवा 1.12 है0 ग्राम मेहदीपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली कि भूमि को वापिस मुताबिक जमाबंदी सम्बत 2000 से 2019 के अनुसार राजकीय गैरमुमकिन नाला दर्ज करने की स्वीकृति देने हेतु मूल पत्रावली राजस्व मण्डल अजमेर को भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.06.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

